न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 114 / 2015 **दायर दिनांकः 10 / 08 / 2015**

उनवान

1. रघुवीरसिंह आयु 57 वर्ष पुत्र सत्यनारायणसिंह।
2. राधेश्याम आयु 50 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जाति राजपूत निवासीगण कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. शंभूसिंह आयु 70 वर्ष पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत।
2. रामसिंह आयु 66 वर्ष पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासीगण भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. गजेन्द्र सिंह आयु 62 वर्ष पुत्र नारायण जाति राजपूत।
4. कैलाशबाई आयु 60 वर्ष पुत्री पुत्र नारायण जाति राजपूत।
5. शुभमसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र रामनाथसिंह जाति राजपूत।
6. तरूणाबाई आयु 35 वर्ष पुत्री रामनाथसिंह जाति राजपूत।
7. अरूणा बाई आयु 30 वर्ष पुत्री रामनाथसिंह जाति राजपूत।
8. अमृतबाई आयु 55 वर्ष बेवा रामनाथसिंह जाति राजपूत निवासीगण शीतलामाता मंदिर के पास राजगढ़ म0प्र0।
9. मोहितसिंह आयु 22 वर्ष पुत्र विजेन्द्रसिंह जाति राजपूत।
10. उत्कर्षसिंह आयु 20 वर्ष पुत्र विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासीगण मकान नं0 ई—427 नगर विकास योजना कन्सुआ कोटा राज0।
11. भंवरसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत।
12. हिम्मत सिंह आयु 38 वर्ष पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत।
13. उम्मेदकंवरबाई आयु 34 वर्ष पुत्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासीगण खेडली रावान तहसील अटरू जिला बारां राज0।
14. भूलकंवरबाई आयु 60 वर्ष पुत्री चांदसिंह जाति राजपूत निवासी सुरेन्द्रसिंह पुत्र चतरसिंह का मकान प्रेम नगर तृतीय स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास कोटा राज0।
15. धनकंवरबाई आयु 58 वर्ष पुत्री चांदसिह जाति राजपूत पत्नि जसवन्त सिंह बिबनवा वाले इन्द्रा कालोनी स्वामी विवेकानन्द स्कूल की गली बून्दी जिला बून्दी राज0।
16. विक्रमसिंह आयु 61 वर्ष पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत।
17. पदमसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत।
18. अवतारसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत।
19. बनेसिंह आयु 35 वर्ष पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत।
20. ममताबाई आयु 32 वर्ष पुत्री बहादुरसिंह जाति राजपूत।
21. मौसमबाई आयु 29 वर्ष पुत्री बहादुरसिंह जाति राजपूत।
22. शीलाबाई आयु 26 वर्ष पुत्री बहादुरसिंह जाति राजपूत।
23. उम्मेदकंवरबाई आयु 52 वर्ष पुत्री छीतरसिंह जाति राजपूत।

24. जयकंवरबाई आयु आयु 90 वर्ष बेवा छीतरसिंह जाति राजपूत निवासीगण भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
25. रूपसिंह आयु 54 वर्ष पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत।
26. दलपतसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत।
27. तेजसिंह आयु 48 वर्ष पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत।
28. नन्दकंवरबाई आयु 65 वर्ष पुत्री चतरसिंह पत्नि भंवरसिंह जाति राजपूत।
29. उच्छल कंवरबाई आयु 56 वर्ष पुत्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासीगण श्रीराम कालोनी कवाई तेजसिंह का मकान स्टेशन रोड़ सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
30. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए, 188, आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाक : 05/11/2018

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, एवं 188 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कवाई सम्वत् 2024 से 2027 के अनुसार पुराने ख0नं0 605 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 635 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा भूमि भंवरसिंह वल्द भैरूलाल के खातेदारी में स्थित थी। काश्तकारों का बंटवारा पूर्व में हो चुका था। उक्त भूमियात भंवरसिंह के हिस्से व खातेदारी में स्थित थी। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के बाद सेटलमेन्ट विभाग ने नये ख0नं0 बनाए है। जो इस प्रकार हैः–

गत ख0 नं0	वर्तमान ख0नं0
605 मिन रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा	327 रकबा 0.36 है0
	328 रकबा 0.39 है0
635 मिन रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा	553 रकबा 1.99 है0
	554 रकबा 1.76 है0 बनाए गये

वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार ख0नं0 327 की भूमि 0.36 है0 ख0नं0 553 की भूमि 1.99 है0 प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड है, कुछ खातेदारान फोत हो गये है, जिनके वारिसान प्रतिवादीगण बनाये गये है। भंवरलाल उर्फ भंवर सिंह वल्द भैरूलाल ने दिनांक 16.06.1956 को भूमि ख0नं0 605 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा व ख0नं0 635 की भूमि 23 बीघा 08 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता सत्यनारायणसिंह वल्द जगन्नाथसिंह जाति राव राजपूत निवासी कवाई ने 85/– रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। तब से ही उक्त भूमियात वादीगण के पिता व उनके पश्चात वादीगण के कब्जे काश्त में निरंतर चली आ रही है। उक्त बेचाननामें की लिखापढी स्टाम्प पर भंवरसिंह ने रूबरू गवाहान रूपये प्राप्त कर कराई थी और कब्जा

क्रेता को संभलाया था। तब से ही उक्त भूमियात वादीगण के कब्जे काश्त में स्थित है, जिसे लगभग 60 वर्षो से भी अधिक का समय हो चुका है। उक्त बेचान 100/– रूपये से कम का होने से धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार ऐसे बेचान के विक्रय पत्र का पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है। उक्त बेचान पूर्ण बेचान होने से वादीगण उक्त बेचान के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। भंवरसिंह के वारिसान में चांदसिंह, छीतरसिंह व चतरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिसान मुताबिक सजरा प्रतिवादीगण बनाए गये है। जिनका उक्त भूमियात पर एक क्षण के लिये भी कब्जा काश्त नही रहा है। वादीगण के पिता सत्यनारायणसिंह द्वारा दिनांक 16.06.1956 को उक्त भूमियात खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। जिसे लगभग 60 वर्षो का समय हो चुका है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ, उसके आठ माह पश्चात वादीगण के पिता ने उक्त भूमियात खरीद की थी। जिस पर वादीगण धारा 15 आर0टी0एएक्ट के अनुसार भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये है। वादीगण के पिता ने उक्त भूमियात खरीद करने के पश्चात उक्त स्टाम्प पिता के भाई पृथ्वीराजसिंह जी के कागजातों के साथ उनके पास चला गया था। जिसकी जानकारी वादीगण के पिता को भी नही थी, पिता ने उक्त स्टाम्प को काफी तलाश किया, नहीं मिला। भंवरसिंह के फोत होने के पश्चात उनके वारिसान ने पुनः उक्त भूमियात के वर्ष 1974 में रूपये ओर ले लिये। उक्त स्टाम्प दिनांक 24.05.2015 को पृथ्वीराज जी को उनके कागजों में मिला, तब उक्त भूमियात की खरीदने की लिखापढी का पहली बार वादीगण को ज्ञान हुआ, इसलिए उक्त वाद पत्र खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त भूमियात को वादीगण उन्नत बनाना चाहते है तथा सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहे है। उक्त भूमियात में वर्तमान में होकर एनएच–90 सड़क का निर्माण होना है, इस बाबत् सड़क में भी भूमियात आने की संभावना है। प्रवितादीगण के मन में बदनियती आ रही है, वह वादीगण को परेशान कर रहे है। उनके खातेदारी में भूमियात होने से वह उक्त भूमियात को अपनी बता रहे है। जबकि उक्त खरीदशुदा भूमियात पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है और ना ही कब्जा काश्त है। उक्त भूमियात के लेंड होल्डर राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब होने से उन्हें इस वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जा चुका है। किन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सी0पी0सी0 के तहत यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण के पिता द्वारा भूमियात खरीद करने की दिनांक से लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादीगण उक्त भूमियात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है, प्रतिवादीगण परेशान करने पर आमादा है। इसलिये यह वाद पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वाद का वाद कारण अंतिम बार दिनांक 24.05.2015 को स्टाम्प मिलने व तहसीलदार साहब से भूमियात खाते लगाने के निवेदन करने पर दिनांक 22.06.2015 को तहसीलदार साहब द्वारा न्यायालय के आदेश लाने पर ही भूमि खाते लगाने की कहने पर अंतिम रूप से पैदा हुआ। विवादित भूमियात न्यायालय

श्रीमान के क्षैत्राधिकार में होने से इस वाद पत्र को सुनने व फैसला करने का न्यायालय श्रीमान को पूरा–पूरा क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रस्तुत वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन है। कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावें किः–

(अ) वादीगण के पिता ने दिनांक 16.06.1956 को वाके माल कवाई की भूमि पुराने खसरा नं0 605 की 05 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 635 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा भंवरसिंह से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसका बेचाननामा दिनांक 16.06.1956 को लिखा गया था। जिसके नए खसरा नं0 327 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 553 रकबा 1.99 है0 बनाए गये है। जो वादीगण के कब्जे काश्त में स्थित है, पर उक्त बेचाननामें के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कृपा करें। तहसीलदार साहब अटरू को रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

(ब) प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वाके माल कवाई की भूमि ख0नं0 327 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 553 रकबा 1.99 है0 पर वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने दे, इसमें किसी भी प्रकार से दखलअंदाजी नहीं करें और ना ही उक्त भूमियात को अन्य के पक्ष में रहन, बेचान, दान, वसीयत व अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करें। उक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करावें।

(स) दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण कब्जा कर ले व बेचान व किसी भी प्रकार से हस्तांतरण करदें तो ऐसे कब्जे से बेदखल कर व ऐसे बेचान को शून्य घोषित कर निरस्त किया जावें।

(द) अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण हो प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 1 व 2 11 से 29 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई, प्रतिवादी क्रम 3 ता 10 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में आराजी स्थित होना स्वीकार है। शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है, वाद पत्र की मद नं0 4 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। तथा कथन है कि उकत आराजीयात का पंजीयन वादीगण के पिता सत्यनारायण सिंह को भैरूलाल से उसके जीवनकाल में करवाना चाहिये था यदि भैरूलाल ने आराजी की तहरीर आलेखित की थी तो उक्त वाद को माननीय न्यायालय को सुनने का श्रेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। बल्कि विशिष्ट अनुपालना का वाद सिविल

न्यायालय में करना चाहिये था। वर्तमान कानून के मुताबिक कब्जा भूमि पर खातेदार का ही माना जाता है। है, वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है, वाद पत्र की मद नं0 6 में पारिवारिक सजरा स्वीकार है, वाद पत्र की मद नं0 7 में भंवरलाल के वारिसान की मृत्यु होना स्वीकार है। शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 का विवरण अस्वीकार है, वाद पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है, वाद पत्र की मद नं0 10 अस्वीकार है, वाद पत्र की मद नं0 11 अस्वीकार है, तथा कथन है कि प्रतिवादीगण खातेदार है। जिनके विरूद्ध यह वाद चलने योग्य नहीं है। तथा वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 12 कानूनी है, वाद पत्र की मद नं0 13 अस्वीकार है, वाद पत्र की मद नं0 14 अस्वीकार है, तथा कथन है कि वाद अवधि मध्य पेश नहीं होने से खारिज फरमाया जावें। वाद पत्र की मद नं0 15 अस्वीकार है, तथा कथन है कि उक्त वाद को सुनने व फैसला करने का क्षैत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 16 अस्वीकार है, अनुतोष वादीगण अस्वीकार है।

—: विशेष विवरण :—

1. उक्त आराजीयात का पंजीयन वादीगण के पिता सत्यनारायण सिंह को भैरूलाल से उसके जीवनकाल में करवाना चाहिए था यदि भैरूलाल ने आराजी की तहरीर आलेखित की थी तो उक्त वाद को माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। बल्कि विशिष्ट अनुपालना का वाद सिविल न्यायालय में करना चाहिये था। वर्तमान कानून के मुताबिक कब्जा भूमि पर खातेदार का ही माना जाता है।
2. प्रतिवादीगण खातेदार है। जिनके विरूद्ध यह वाद चलने योग्य नहीं है, तथा वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।
3. उक्त वाद को सुनने व फैसला करने का क्षैत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त नहीं है। वाद अवधि मध्य पेश नही होने से खारिज फरमाया जावें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 3 ता 10 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कीः—

1. **तनकी नं0 1ः—** आया ग्राम कवाई तहसील अटरू मे पुराने खाता संख्या 605 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा ख0नं0 635 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा भूमि भंवरलाल वल्द भैरूलाल के खाते दर्ज है जिसके नये नम्बर ख0नं0 327 रकबा 0.36 है0 ख0नं0 328 रकबा 0.39 है0 ख0नं0 553 रकबा 1.99 है0 ख0नं0 554 रकबा 1.76 है0 बनाकर दर्ज किये है।

(वादी)

2. **तनकी नं0 2ः—** आया भंवरसिह उर्फ भंवरलाल वल्द भैरूलाल से दिनांक 16.06.1956 की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में से हिस्सा 1/2 वादीगण के पिता सत्यनाराण सिंह वल्द जगन्नाथ सिंह ने 85 रूपये मे खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तब वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(वादी)

3. **तनकी नं0 3:–** आया 100 रूपये से कम का बेचान लेने से धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार वेचान के विक्रय पत्र का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। इसलिए वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

(वादी)

4. **तनकी नं0 4:–** आया वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है सिविल न्यायालय को है।

(प्रतिवादीगण 3 ता 10)

5. **दादरसी।**

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत गवाह PW_1 से PW_3 के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर साक्ष्यप्रतिवादी बंद किये गये।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है:–

1. **तनकी नं0 1:–** आया ग्राम कवाई तहसील अटरू मे पुराने खाता संख्या 605 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा ख0नं0 635 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा भूमि भंवरलाल वल्द भैरूलाल के खाते दर्ज है जिसके नये नम्बर ख0नं0 327 रकबा 0.36 है0 ख0नं0 328 रकबा 0.39 है0 ख0नं0 553 रकबा 1.99 है0 ख0नं0 554 रकबा 1.76 है0 बनाकर दर्ज किये है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादी द्वारा पुरानी ख0नं0 605 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा व ख0नं0 635 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा भूमि जो भंवरलाल बल्द भैरूलाल के खाते की भूमि थी। जिसकी नकल व नये नं0 ख0नं0 327 रकबा 0.36 व ख0नं0 328 रकबा 0.39 है0 ख0नं0 553 रकबा 1.99 है0 ख0नं0 554 रकबा 1.76 है0 की नकल व मिलान क्षैत्रफल पेश किया है। जो रिकार्ड से साबित है। तनकी नं0 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।
2. **तनकी नं0 2:–** आया भंवरसिह उर्फ भंवरलाल वल्द भैरूलाल से दिनांक 16.06.1956 की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में से हिस्सा 1/2 वादीगण के पिता सत्यनाराण सिंह वल्द जगन्नाथ सिंह ने 85 रूपये मे खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तब वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादी द्वारा रिकार्ड के साथ दिनांक 16.06.1956 को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में से 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता सत्यनारायण सिंह द्वारा 85 रू0 में क्रय किया गया था, जो प्रदर्श 4 ए है। जिससे साबित है, वादीगण के पिता द्वारा क्रय कर कब्जा काश्त की तथा उनके वाद वादीगण के द्वारा कब्जे काश्त की जा रही है। तनकी सं0 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।
3. **तनकी नं0 3:–** आया 100 रूपये से कम का बेचान लेने से धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार वेचान के विक्रय पत्र का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। इसलिए वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ रिकार्ड पेश किया गया है कि जो प्रदर्श

4 ए है, जिस पर 85 रूपये में वादीगण के पिता द्वारा विवादित भूमि क्रय की गई है। 100 रूपये से कम का बैचान होने से धारा 17 रजिस्टेशन एक्ट के अनुसार बैचान के विक्रय का पंजीयन होना आवश्यक नही है। तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. **तनकी नं0 4:–** आया वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है सिविल न्यायालय को है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण 1 ता 10 पर था प्रतिवादी द्वारा इस तनकी से समर्थन में कोई दस्तावेज, साक्ष्य पेश नही किये गये है। अतः तनकी संख्या 4 विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 3 ता 10 निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कवाई की नये ख0नं0 327 रकबा 0.36 है0 ख0नं0 553 रकबा 1.99 है0 का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है। कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में लिखवाया गया।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां